न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 20/2025 जीसीएमएस नम्बर 2025/63

उनवानी प्रकरण :–

1. कदम सिंह पुत्र मुकुट सिंह उम्र करीब 60 वर्षजाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर जिला धौलपुर।
2. श्रीमती शारदा पत्नी कदमसिंह जाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर ————————————————————प्रार्थीगण।

बनाम्

1. थानाधिकारी पुलिस थाना मनियां तहसील मनियां जिला धौलपुर।
2. श्रीमती रमिया पुत्री स्व0 नारायण सिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां हाल बिरहरू थाना सैंया जिला आगरा।
3. गजेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बिरहरू थाना सैंया आगरा
4. वीरेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम बिरहरू थाना सैंया आगरा
5. गुड्डू उर्फ राघवेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी बिरहरू थाना सैंया आगरा।
6. दीपू पुत्र रामलखन जाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर।
7. राजबहादुर पुत्र कोकसिंह जाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर
8. भोला पुत्र राजबहादुर जाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर
9. लीलाधर पुत्र आनन्दी लाल जाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145सीआरपीसी (धारा 164 बी.एन.एस.) अन्तरित करने प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कदम सिंह श्रीमती रमिया मुकदमा नम्बर 03/2025 न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

उपस्थिति :–

4. प्रार्थीगण की ओर से :– श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट।
5. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से :– श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट।
6. अप्रार्थी संख्या 3 लगा. 09 की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट।

निर्णय **दिनांक 05.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि एक परिवाद प्रार्थीगण की पुत्री कुमारी राखी द्वारा एस.पी. साहब धौलपुर को इन कथनों के

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

साथ दिया कि प्रार्थिया की मां शारदा पत्नी कदम सिंह ग्राम राधेपुरा थाना मनियां तहसील मनियां के नाम आराजी काश्त है जिस पर कई वर्षों से न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उक्त आराजी कई वर्षो से बंजड पडी हुई है लेकिन दिनांक 22.09.2024 को दीपू पुत्र रामलखन, राजबहादुर पुत्र कोकसिंह, भोला पुत्र राजबहादुर, गजेन्द्र, वीरेन्द्र पुत्रगण महेन्द्र निवासीगण ग्राम बिरहरू जिला आगरा हाल निवासी ग्राम राधेपुरा थाना मनियां, गौरव पुत्र गजेन्द्रसिंह, प्रेमसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर एकराय होकर व बदमाशों को यूपी से बुला कर प्रार्थी की मां के खेतों को दीपू के ट्रेक्टर से बन्दूक की नोक पर जुतबा दिया है, जुतवाते समय लोगों ने बताया कि यह लोग खेतों को जोतते समय एलानियां धमकी देकर गए है कि यदि शारदा के परिवार वालों ने इस खेत पर आने की या देखने की या जोतने की जुर्रत की तो वह शारदा के साथ साथ उसके परिवारजन व उसके हमदर्दो का सर्वनाश कर देंगे। इसकी रिपोर्ट प्रार्थिया के पिता ने अविलम्ब ही पुलिस थाना मनियां को प्रेंषित कर दी लेकिन पुलिस थाना मनियां मल्जिमों से साज कर गया क्योंकि उक्त आरोपीगण राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है जिनका आवश्यक कई वर्षो से राजाखेडा विधायक से जमीनों के गठजोड में सम्पर्क व सरोकार है। इन लोगों ने राजनैतिक प्रभाव से हम जैसे गरीब लोगों की जमीनों पर बन्दूक की नोक पर अतिक्रमण कर आराजी काश्त से वेदखल किया है तथा बेनामी सरकारी सम्पति को खुर्द बुर्द किया है, बेचान किया है। परिवाद की जांच चन्द्रभान सिंह हैडकानि. 712 द्वारा कराई गई दौराने जांच बयानात गवाह कुमारी, श्री कदम सिंह, श्रीमती शारदा देवी के बयान लेखबद्व किये गये है तो जांच में पाया गया कि नारायनसिंह पुत्र कामराज सिंह जाति ठाकुर निवासी राधेपुरा थाना मनियां जिला धौलपुर जो परिवादिया का बाबा था, नारायनसिंह के एक पुत्री रमिया देवी है जो महेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी बिरहरू थाना सैंया जिला आगरा यूपी को ब्याही थी, महेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है, महेन्द्र सिंह के 3 लडके गजेन्द्र, वीरेन्द्र व गुड्डू उर्फ राघवेन्द्र है, रमिया की उम्र करीब 80 वर्ष है जो काफी बृद्व महिला है जो चलने फिरने में भी असमर्थ है, नारायनसिंह जो कदमसिंह का सगा ताऊ था, जो कदमसिंह के पास ही रहता था। कदमसिंह व उसकी पत्नि शारदा देवी ने ही अपने ताऊ नारायनसिंह की सेवा की थी तथा मरणोंपरांत उसके कियाकर्म व तेरहवी की थी, सेवा से प्रसन्न होकर नारायनसिंह ने अपने हक की समस्त जायदाद काश्त आराजी खसरा नम्बर 44 रकवा 01 वीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 45 रकवा 01 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 57 रकवा 01 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 47 रकवा 01 बीघा खसरा नम्बर 49 रकवा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकवा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकवा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकवा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकवा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर186 रकवा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके हार ग्राम राधेपुरा तहसील मनियां कुल खसरा नम्बर 10 कुल रकवा 14 बीघा 03 बिस्वा की वसीयतनामा श्रीमती शारदा देवी के हक में दिनांक 23.04.1989 को कर दिया था। शादरा देवी व उसके पति कदमसिंह की समस्त आरजीयात को नारायनसिंह के सामने से ही जोतते बोते चले आ रहे थे तथा काबिज होकर काश्त कर रहे थे, नारायनसिंह की मृत्यु दिनांक 02.05.1989 के उपरांत गांव के लोगों ने तथा श्रीमती रमिया व उसके लडके गजेन्द्र, वीरेन्द्र, गुड्डू उर्फ राघवेन्द्र के द्वारा जमीन को जोतने बोने से शारदा देवी व उसके पति कदमसिंह को रोका तथा इस सम्बध मे दीवानी वाद रमिया की ओर से न्यायालय एसडीएम धौलपुर में पेश किया

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

गया। जिसका निर्णय 08.01.2019 को एसडीएम धौलपुर के कार्यालय से श्रीमती शारदा देवी के हक में सुनाया गया तथा श्रीमती शारदा की ओर से प्रस्तुत वाद को न्यायालय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने का तहसीलदार धौलपुर को आदेश पारित किया गया जिसका प्रकरण संख्या 09/2018 शारदा बनाम ग्राम पंचायत शाहपुरा रमिया पुत्री नारायनसिंह निर्णय हुआ, जिसकी छायाप्रति पेश की है तथा वाद संख्या 43/2019 शारदा देवी बनाम सनेही, रमिया वगैरा निर्णय दिनांक 05.07.2019 कार्यालय एसडीएम धौलपुर का पेश किया है जिसमें श्रीमती शारदा देवी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार होना घोषित किया गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किए जाने के आदेश पारित किये है व डिक्री शारदा देवी के हक में जारी की गई है। उक्त दोनों आदेशों के खिलाफ अपील श्रीमती रमिया देवी द्वारा आर.ए.ए. भरतपुर व सम्भागीय आयुक्त भरतपुर में की गई है जो वर्तमान में अपील विचाराधीन चल रही है। उक्त अपील का प्रकरणसंख्या 223/न.25/2019 आर.ए.ए. भरतपुर व अपील संख्या 31/2019 रमिया बनाम शारदा देवी संभागीय आयुक्त में विचाराधीन चल रहे है, पूर्व में हर दोनों पार्टियों को अन्तर्गत धारा 107/116 सी.आर.पी.सी. इस्तगासा के जरिये तहसील धौलपुर मनियां द्वारा पाबंद कराया जा चुका है तथा हर दोनों पार्टियों में झगडा होने के अंदेशा को लेकर भी इन्सदादी कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. में तहसीलदार तहसील धौलपुर द्वारा पाबंद कराया जा चुका है, मगर इसके बावजूद भी वर्तमान में हर दोनों पार्टियों में तनाव की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे को जान से मारने पर उतारू है ऐसी स्थित में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 44 रकवा 01 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 45 रकवा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकवा 01 बीघा, खसरा नम्बर 47 रकवा 01 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकवा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकवा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकवा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकवा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकवा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकवा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके हार ग्राम राधेकापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर कुल खसरा नम्बर 10 कुल रकवा 14 बीघा 03 बिस्वा को कुर्क की जाकर अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी.(164 बी.एन.एस.एस.) की कार्यवाही किए जाकर रिसिवर नियुक्त किया गया ताकि इलाका थाना हाजा में शांति व्यवस्था कायम रह सके। उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 19.12.2025 नियत लेकिन आधीन न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर कानून की मनसा के विपरीत पार्टी संख्या 2 द्वारा जबाव इस्तगासा एवं प्रार्थना पत्र दौराने पार्टी नम्बर 2 को आराजी को पुलिस इमदाद के साथ जुतवाए जाने बावत दिया। वर्तमान पीओ साहब द्वारा डाइस से कहा कि पार्टी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द कर दो अन्यथा पुलिस के लिए कब्जा दिलाने हेतु आदेश करने पडेगे। जबकि उपखण्डाधिकारी की अदालत से प्रार्थीगण के हक में डिक्री व निर्णय हो चुका है और यदि वर्तमान पीओ साहब ने यदि पुलिस इमदाद द्वारा प्रार्थीगण का कब्जा हटाने की स्पष्ट धमकी में कब्जा हटा दिया तो प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जाऐंगे और वर्तमान परिस्थितियों में प्रार्थीगण को वर्तमान पीओ साहब से निष्पक्ष न्याय की आशा नही है इसलिए उपरोक्त उनवानी पत्रावली को दीगर सक्षम न्यायालय में अंतरित करा पाने की कानूनन अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्याय सहित उपरोक्त उनवानी पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने के आदेश दिये जावे।

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें नोटिस के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी प्रस्तुत करें । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को भेजकर बिन्दुबार टिप्पणी चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 9 की ओर से हरिवीर सिंह एडवोकेट ने वकालात पेश कर प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 02 रमिया के पिता स्व0 नारायन सिंह के खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी संख्या 02 रमिया स्व0 नारायनसिंह की एकमात्र जायज एवं कानूनी वारिस है, रमिया के अलावा स्व0 नारायनसिंह के अन्य कोई पुत्री या पुत्र नहीं है। नारायनसिंह के जीवन काल से ही रमियां नारायनसिंह के साथ रह कर उसकी सेवा सुश्रुषा करती थी एवं उनके नाम की आराजी में काश्त करती रहीं। नारायन सिंह का सन् 1989 में देहान्त हो गया उनकी मृत्यु के बाद रमिया के नाम विरासत का नामान्तकरण संख्या 163 हो गया। रमिया अपने पिता के द्वारा छोडी गई आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तगार कश्त करने लगी। प्रार्थी कदमसिंह जो रमिया का चचेरा भाई एवं सोवरन सिंह भी रमिया का चचेरा भाई है तथा धर्म सिंह एवं पंचम सिंह, मुकुट सिंह आदि सभी लोगों की नीयत खराब हो गयी, उत्तरदाता को अकेली जान के ये लोग उत्तरदाता रमिया को परेशान करने लगे पहले सोवरन सिंह ने एक दावा नारायन सिंह की फर्जी बसीयत बना कर जिस पर कदमसिंह की गवाही थी के आधार पर रमियां के विरूद्व न्यायालय एसीएम मुख्यालय धौलपुर में दावा दायर कर दिया। रमियां ने इन लोगो से तंग आकर इनके विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दायर कर दिया। बाद में इन लोगों ने रमिया से राजीनामा कर लिया। सोवरन सिंह का दावा खारिज हो गया तथा न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने राजीनामा के आधार पर कदमसिंह एवं कदमसिंह के भाई रामबाबू व सोवरन सिंह, धर्मसिंह, लखपत सिंह, पंचमसिंह, मुकुट सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह, मुन्ना एवं विजय सिंह पुत्रगण सोवरन सिंह जातिगण ठाकुर निवासीगण राधेपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर को हमेशा के लिए दिनांक 04.07.2003 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जो निर्णय आज तक प्रभावी है। उस निर्णय के खिलाफ आज तक कोई अपील नहीं हुई है। अप्रार्थीगण रमियां अपने पुत्र गजेन्द्र सिंह के साथ राधेपुरा में रहकर विवादग्रस्त आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तगार काबिज होकर काश्त करती रही है एवं वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त कर रही है। कदमसिंह एवं उसकी पत्नि शारदा का मुकदमा की विवादग्रस्त आराजी से कोई सम्बध व सरोकार नहीं है। ये लोग न्यायालय एसडीओ की डिक्री की अवहेलना कर प्रार्थीया को काश्त करने में व्यवधान पैदा कर रहे है। कदम सिंह की पुत्री राखी बहुत चालाक व होशियार किस्म की महिला है जो असमाजिक तत्वों से मेल जोल रखती है उसने एक वंशी नाम का गुण्डा निवासी राजाखेडा से शादी कर ली है जिसने कई बार कई गुण्डो को अपने साथ लेकर रमिया एवं रमिया के पुत्र गजेन्द्र एवं रमियां के खेत में काम करने वाले व्यक्तियों पर हमला करवाया है वह पुलिस से मेल जोल रखती है। पुलिस बिना किसी कारण के रमियां को फसल नहीं करने देती है। थाना मनियां की पुलिस अवैध तरीके से प्रार्थी एवं उसकी पत्नी एवं पुत्री का सहयोग कर रही है जो विधि विरूद्व है। थाना मनियां की पुलिस उत्तरदातागण से साज नहीं किये हुये है बल्कि प्रार्थी व उसकी पत्नी एवं उसकी पुत्री

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

से साज किये हुए है। प्रार्थी कदमसिंह एवं उसकी पुत्री राखी एवं उसकी पत्नी शारदा देवी से साज करके विधि विरूद्व जांच कर इसी आराजी की फर्जी वसीयतनामा के अपराध में धारा 420,467,468,471 भा.द.सं. के मुल्जिम है की प्रार्थना पर धारा 145 सी.आर.पी.सी. का इस्तगासा न्यायालय एसडीएम धौलपुर में प्रस्तुत कर दिया है जिसका जबाव उत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत कर दिया है प्रार्थी को काफी मौके दिये जा चुके है लेकिन उसने जबाव प्रस्तुत नहीं किया है तथा उसने मिथ्या आरोप लगाते हुए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जो गलत है। ऐसे व्यक्तियो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए तथा प्राथना मय हर्जा खर्चा खारिज होना चाहिए। खसरा नम्बर 214 रकवा 01 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम राधेपुरा तहसील मनिया जिला धौलपुर की 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तगार उत्तरदाता रमियां एवं 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार उत्तरदाता रमियां एवं 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रार्थी कदमसिंह है। कदमसिंह इस खसरा नम्बर सम्पूर्ण को अकेला लेना चाहता था इसके बावत रमिया के पुत्र गजेन्द्र सिंह एवं कदमसिंह में झगडा हो गया इसलिए रमिया ने उक्त खसरा नम्बर के बटवारे के लिए सन 2018 में न्यायालय एसडीओ धौलपुर में बटवारे का दावा कर दिया इससे चिड़कर तथा रमियां की सम्पूर्ण आराजी को हडपने के लिए कदमसिंह व उसकी पत्नी शारदा देवी व उसकी पुत्री राखी एवं बहनोई रमेशचंद एवं गांव के ही आशाराम ने धौलपुर में कूट रचना के सकिय गिरोह से सन 2018 में एक प्लेन कागज पर एक फर्जी वसीयतनामा बनवाकर उसके आधार पर न्यायालय श्रीमान एसडीओ धौलपुर में रमिया का पता ग्राम विरहरू तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0 लिखवाकर शारदा देवी बनाम ग्राम पंचायत शाहपुरा के नाम से रमिया के हक में किये गये 28 वर्ष पहले नामान्तकरण को निरस्त करवाने के लिए अपील प्रस्तुत करवा दी तथा खेरागढ के तामील कुनिन्दा से साज कर फर्जी तामील कराकर एक पक्षीय कार्यवाही कराकर अपील स्वीकार करा ली गई जबकि उत्तरदाता के पति महेन्द्र सिंह का सन 1982 में देहांत हो गया उसके दो पुत्र विरहरू में रहते है तथा रमिया एवं रमिया का बडा बेटा गजेन्द्र सिंह नारायनसिंह के जीवन काल से ही ग्राम राधेपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में निवास करते है उनका आधार कार्ड एवं वोटर आई कार्ड एवं समस्त दस्तावेज ग्राम राधेपुरा के है जब तहसील धौलपुर में अपील के निर्णय के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही चल रही थी उसी समय उत्तरदाता रमियां का पुत्र गजेन्द्र सिंह तहसील मनियां में गया और ऑफिस कानूनगो ने बताया के तेरी मां के विरूद्व फेसला हो गया है यहां पर नामान्तकरण की कार्यवाही चल रही है अगर तुम रोक सको तो रोक लो तब उत्तरदाता रमियां के पुत्र को जानकारी होने पर तुरन्त ही माननीय न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील प्रस्तुत कर दी गई है जिसमें प्रार्थी द्वारा कराये गये निर्णय दिनांक 08.01.2019 की किन्यावति स्थगित कर दी गई तथा फर्जी वसीयत बनाने के आधार पर उत्तरदाता ने थाना मनियां में रिपोर्ट कर दी जिसका एफआईआर नम्बर 161/2019 थाना मनियां है चूकि कदमसिंह व उसकी पुत्री राखी एवं शारदा देवी काफी चालाक एवं शातिर लोग है वो इस प्रकरण को उलझाये रखना चाहते थे इसलिए उन्होने न्यायालय डीसी साहब के स्थगन आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन कर दिया तथा न्यायालय डीसी साहब से वसीयत की प्रमाणित प्रति लेकर पुनः उसी तर्ज पर यह जानते हुए कि रमिया राधेपुरा में रहती है रमिया को पता नही चल जाये इसलिए शारदा देवी बनाम सनेही जो शारदा की ननद है तथा पति कदमसिंह दूसरे नम्बर एवं रमिया को

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

तीसरे नम्बर पर पक्षकार बनाते हुए तथा पता विरहरू का ही लिखते हुए स्वत्व घोषणा का दावा कर दिया उसमें भी खेरागढ के तामील कुनिन्दा से फर्जी तामील कराकर न्यायालय से साज कर मात्र 19 दिन में फर्जी वसीयत की प्रमाणित प्रति आधार पर दावा डिक्री करा लिया जिसका पता चलते ही उत्तरदाता रमियां ने न्यायालय श्रीमान भूप्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील प्रस्तुत कर दी जिसमें उन्होंने निर्णय दिनांक 09.07.2019 की कियान्वति स्थगित कर दी उस स्थगन के विरूद्व भी शारदा देवी ने रिवीजन कर दिया दोनो ही रिवीजन खारिज हो गये है। डीसी साहब धौलपुर की आदेश के विरूद्व रिवीजन खारिज होने पर रिवीजन का रिव्यू कर दिया वह भी खारिज हो चुका है इस दौरान रमिया विवादग्रस्त आराजी पर निर्विवाद रूप से काश्त करती रही है कदमसिंह बगैरा ने अपने नाम दाखिल खार्ज कराने के काफी प्रयास किये है लेकिन सफल नही हो सके जो एफ.आई. आर. नम्बर 161/2019 रमियां ने फर्जीवाडे की कराई उसमें मनियां थाने की पुलिस ने एफ. आई.आर. लगाने की कोशिश की उस वजह से तफ्तीश सी.ओ. मनियां से कराई गई, सी.ओ. मनिया ने वसीयतनामा को फर्जी माना तो शारदा देवी ने तफ्तीश बदलवाकर सी.ओ. सैपऊ को दिलवा दी, सी.ओ. सैपऊ ने भी कदमसिंह शारदा देवी, रमेश चन्द एवं आशाराम को मुल्जिम मानकर चार्जशीट पेश करने को थाना मनियां को प्रकरण दे दिया था, थाना मनियां से चार्जशीट नम्बर 241/2023 दिनांक 16.11.2023 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजि0 संख्या 02 धौलपुर में प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है इस प्रकरण में मुल्जिमान ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर से जमानत कराई है इस प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी फर्जी वसीयत बनाने के अपराध में कदमसिंह बगैरा मुल्जिम है उनके द्वारा दिये प्रार्थना पत्र पर पुलिस धारा 145 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही नही कर सकती है। विवादग्रस्त आराजी पर रमिया शान्तिपूर्वक काश्त कर रही है लेकिन पुलिस थाना मनियां ने मुजिमान से साज कर बिना बजह तनाव का विषय बना दिया है पुलिस थाना मनियां को रमियां की मुल्जिमान से रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसके विपरीत पुलिस मुल्जिमान का सहयोग कर रही है धारा 145 सी.आर.पी.सी. का इस्तगासा विधिविरूद्व किया गया है। उत्तरदाता द्वारा इस्तगासा का जबाव विधिसम्मत दिया है तथा कदमसिंह वगैरा से न्यायालय द्वारा जबाव मांगा जा रहा है जिससे बचने के लिए तथा प्रकरण को उलझाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कदम सिंह, शारदा देवी एवं उसकी पुत्री राखी येनकेन प्रकार से गलत काम को अपने पक्ष में कराने का दबाव बनाने के आदी है माननीय न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर में चल रही अपील जैसे ही अन्तिम बहस में आई तो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में ट्रांसफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया तथा इसी प्रकार न्यायालय एस.डी.एम. धौलपुर में निर्णय नहीं हो जाये इसलिए उसे रूकवाने के लिए प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है ये लोग इस प्रकरण को उलझाकर रखना चाहते है पुलिस इनकी मदद कर रही है जैसे ही उत्तरदाता रमिया अपने लडको के सहित खेत में फसल करने जाती है तो राखी 100 नम्बर पर फोन कर देती है पुलिस बिना किसी झगडे झंझट के शान्ति पूर्ण माहौल को बिगाड देती है तथा रमिया के लडको एवं मजदूरों को पकड कर ले आती है तथा फसल नहीं करने की धमकी देती है जिसका कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो प्रार्थी कदमसिंह उनके खिलाफ भी ट्रांसफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देगा एवं

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देगा। धारा 411, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट किसी ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष आरम्भ हो चुकी निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापिस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो वापिस मंगा सकता है और ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकता है या उसके निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है।

उपखण्डाधिकारी धौलपुर ने अपनी टिप्पणी भिजवाते हुए कथन किया कि थानाधिकारी थाना मनियां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 सीआरपीसी (164बीएनएसएस) में अंकित है। उक्त प्रकरण दिनांक 28.07.2025 को हाजा न्यायालय में दर्ज होकर वर्तमान में उपस्थित आये पक्षकरों के जबाव हेतु विचाराधीन है। प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष मय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है जिसमें आगामी तारीख पेशी 03.02.2026 नियत है। प्रार्थीगण द्वारा कपोल, कल्पित, मिथ्या एवं बदनीयति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा किसी से भी कभी पार्टी नम्बर 2 को कब्जा सुपुर्द करने एवं कब्जा हटाने बावत नहीं कहा है। उक्त प्रकरण में दिनांक 10.11.2025 को पार्टी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आराजी को पुलिस इमदाद के साथ जुतबाए जाने के जबाव हेतु पार्टी संख्या 01 को कहा गया था। हाजा प्रकरण के सम्बध में असल तथ्य यह है, कि उनके द्वारा बिना किसी दबाव एवं पक्षपात के नियमानुसार कोर्ट मैनुअल के प्रावधानों के तहत पूर्ण प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुये न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों में सुनवाई की है, हाजा प्रकरण की सुनवाई के दौरान भी न्यायालय की प्रतिष्ठा, गरिमा एवं न्यायहित को सर्वोपरि रखा जाकर निष्पक्ष कार्यवाही की जाती है। उनके विरूद्व शिकायत में अंकित झूंठे, तथ्यहीन, कपोल कल्पित उक्त वाक्यान/आरोप अधिकारी एवं कार्मिकों की कार्यक्षमता, दक्षता एवं मनोबल को नुकसान पहुंचाने वाले है। पीठासीन अधिकारी एवं न्यायिक कार्मिकों पर गलत तथ्यों को अंकित कर झूठे आरोपों के आधार पर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र लगाया जाना न्यायालय की गरिमा व छवि को घात पहुंचाने वाला है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार की मूल भावना एवं न्यायिक सिद्वातों की कार्यवाही को अवरूद्व करने वाला है। यदि इस प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि दीवानी वाद रमिया की ओर से न्यायालय एसडीएम धौलपुर में पेश किया गया। जिसका निर्णय 08.01.2019 को एसडीएम धौलपुर द्वारा विपक्षी शारदा देवी के हक में सुनाया गया तथा श्रीमती शारदा की ओर से प्रस्तुत वाद को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने का तहसीलदार धौलपुर को आदेश पारित किया गया जिसका प्रकरण संख्या 09/2018 शारदा बनाम ग्राम पंचायत शाहपुरा रमिया पुत्री नारायनसिंह निर्णय हुआ, जिसकी छायाप्रति पेश की है तथा वाद संख्या 43/2019 शारदा देवी बनाम सनेही, रमिया वगैरा निर्णय दिनांक 05.07.2019 एसडीएम धौलपुर का पेश किया है जिसमें श्रीमती शारदा

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

देवी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किए जाने के आदेश पारित किये है व डिक्री शारदा देवी के हक में जारी की गई है। उक्त दोनों आदेशों के खिलाफ अपील श्रीमती रमिया देवी द्वारा आर.ए.ए. भरतपुर व सम्भागीय आयुक्त भरतपुर में की गई है जो वर्तमान में अपील विचाराधीन चल रही है। उक्त अपील का प्रकरण संख्या 25/2019 आर.ए.ए. भरतपुर व अपील संख्या 31/2019 रमिया बनाम शारदा देवी संभागीय आयुक्त में विचाराधीन चल रहे है, पूर्व में दोनों पार्टियों को अन्तर्गत धारा 107/116 सी.आर.पी.सी. इस्तगासा के जरिये तहसील धौलपुर मनियां द्वारा पाबंद कराया जा चुका है तथा दोनों पार्टियों में झगडा होने के अंदेशा को लेकर भी इन्सदादी कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत धारा 151 सी.आर.पी.सी. में तहसीलदार तहसील धौलपुर द्वारा पाबंद कराया जा चुका है, मगर इसके बावजूद भी वर्तमान में हर दोनों पार्टियों में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 44 रकवा 01 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नम्बर 45 रकवा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकवा 01 बीघा, खसरा नम्बर 47 रकवा 01 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकवा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 57 रकवा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकवा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 77 रकवा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकवा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकवा 01 बीघा 04 बिस्वा वाके हार ग्राम राधेकापुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर कुल खसरा नम्बर 10 कुल रकवा 14 बीघा 03 बिस्वा को कुर्क की जाकर अन्तर्गत धारा 145 सी.आर.पी.सी.(164 बी.एन.एस.एस.) की कार्यवाही की जाकर रिसीवर नियुक्त किया गया ताकि इलाका थाना हाजा में शांति व्यवस्था कायम रह सके। उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 19.12.2025 नियत लेकिन आधीन न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर कानून की मनसा के विपरीत पार्टी संख्या 2 द्वारा जबाव इस्तगासा एवं प्रार्थना पत्र दौराने पार्टी नम्बर 2 को आराजी को पुलिस इमदाद के साथ जुतवाए जाने बावत दिया। वर्तमान पीओ साहब द्वारा डाइस से कहा कि पार्टी संख्या 2 को कब्जा सुपुर्द कर दो अन्यथा पुलिस के लिए कब्जा दिलाने हेतु आदेश करने पडेगे। जबकि उपखण्डाधिकारी की अदालत से प्रार्थीगण के हक में डिक्री व निर्णय हो चुका है और यदि वर्तमान पीओ साहब ने यदि पुलिस इमदाद द्वारा प्रार्थीगण का कब्जा हटाने की स्पष्ट धमकी में कब्जा हटा दिया तो प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जाऐंगे और वर्तमान परिस्थितियों में प्रार्थीगण को वर्तमान पीओ साहब से निष्पक्ष न्याय की आशा नही है इसलिए उपरोक्त उनवानी पत्रावली को दीगर सक्षम न्यायालय में अंतरित करा पाने की कानूनन अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना की है, कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्याय सहित उपरोक्त उनवानी पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थीगण 2 लगायत 09 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का यह कहना गलत है कि प्रार्थीया को तत्कालीन उपखण्डाधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं थी न्यायालय एस.डी.एम. धौलपुर में निर्णय नहीं हो जाये इसलिए उसे रूकवाने के लिए प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है ये लोग इस प्रकरण को उलझाकर रखना चाहते है पुलिस इनकी मदद कर रही है जैसे ही उत्तरदाता रमिया अपने लडको के सहित खेत में फसल करने जाती है तो राखी 100 नम्बर पर फोन कर देती है पुलिस बिना किसी झगडे

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

झंझट के शान्ति पूर्ण माहौल को बिगाड देती है तथा रमिया के लडको एवं मजदूरों को पकड कर ले आती है तथा फसल नहीं करने की धमकी देती है जिसका कोई अधिकार नहीं है। अगर प्रकरण अन्य किसी न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो प्रार्थी कदमसिंह उनके खिलाफ भी ट्रांसफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देगा एवं प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देगा। धारा 411, भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता के तहत कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट किसी ऐसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष आरम्भ हो चुकी निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापिस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो वापिस मंगा सकता है और ऐसी कार्यवाही को स्वंय निपटा सकता है। या उसके निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे या प्रकरण को न्यायालय श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट से मंगा कर स्वयं सुनवाई कर निर्णय करने की कृपा करें जिससे पक्षकारों को न्याय मिल सके।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण वर्तमान में पक्षकरों के जबाब हेतु विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष मय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्राथीगण द्वारा केवल सन्देह के आधार पर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहा है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई सन्तोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। मात्र सन्देह के आधार पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)